न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 21 / 2026(GCMS 2026/61)
(RTI No. 212999446552965)

उम्मेद सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नं. 01, तहसील अनूपगढ़–335701 जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 99835–13750)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री उम्मेद सिंह स्वयं उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2026 से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी उम्मेद सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2026 से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थी :

> सुमन पुत्री महावीर सिंह नजदीक 101 आर.सी.सी.ग्रीफ निवासी पुराना वार्ड नम्बर 01, नया वार्ड संख्या 45, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर सुमन की शादी मुझ प्रार्थी के साथ हुई थी। मेरी पत्नी सुमन मुझे 10 जुलाई 2016 को छोड़ के अपने पीहर चली गयी उक्त दिनांक से लेकर आज तक वो पीहर में बैठी है, इसी दौरान सुमन ने मेरे भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड से अपना नाम कटवा के अपनी माता कमलेश के भामाशाह संख्या :– 9999-V85Z-00229 में वर्ष 2019 में सुमन ने अपने आप को सम्बन्ध विच्छेद (तलाक शुदा) लिखा के जुड़वा लिया, इसके पश्चात एक साल बाद पुनः उसमें संशोधन कर अपनी माता कमलेश के जन आधार कार्ड संख्या 5038142511 में वर्ष 2020 में सुमन ने अपने आप को विधवा बना लिया। भामाशाह संख्या :– 9999-V85Z-00229 व जन आधार कार्ड संख्या 5038142511 इन दोनों का प्रथम स्तरीय सत्यापन आपके कार्यालय द्वारा किया गया था। आप मुझे [illegible] की सुमन द्वारा बनाये गये भामाशाह कार्ड व जन आधार [illegible] में [illegible] गये सम्बन्ध विच्छेद (तलाश शुदा) व विधवा का प्रमाणित [illegible] किये जावे, जिन्हें आपके द्वारा सत्यापित किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 21/2026
(GCMS No. 2026/61)
(RTI No. 212999446552965)
उम्मेद सिंह बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

तहसीलदार(राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने राजकाज पत्रांक 21439515 दिनांक 06.04.2026 से अपील का जवाब प्रेषित कर, अवगत करवाया है कि उनके द्वारा दिनांक 16.02.2026 को सूचित किया जा चुका है और तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई/2026/262 दिनांक 16.02.2026 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रसांगिक प्रार्थना पत्र अनुसार भामाशाह संख्या 9999-V85Z-00229 में वर्ष 2019 में आपकी पत्नी सुमन द्वारा अपने आप को सम्बन्ध विच्छेद (तलाक शुदा) लिखा के जुड़वा लिया, इसके पश्चात एक साल बाद पुनः उसमे संशोधन कर अपनी माता कमलेश के जन आधार काउं संख्या 538142511 में वर्ष 2020 में सुमन ने अपने आप को विधवा बना लिया। भामाशाह संख्या 9999-V85Z-00229 व जन आधार कार्ड संख्या 5038142511 में सम्बन्ध विच्छेद (तलाक शुदा) व विधवा का प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
>
> आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना **तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने के कारण** सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(ड)(छ) के तहत अप्रार्थिया सुमन देवी पुत्री महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नं. 45 सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर द्वारा सूचना देने में असहमति प्रकट की गयी है तथा वर्तमान में उक्त डाटा/सूचना दस्तावेज ऑन लाईन इस कार्यालय द्वारा Access योग्य नहीं है।
>
> अतः आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(ड)(छ) के तहत आप द्वारा वांछित सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित नहीं होने, सम्बन्धित तृतीय पक्षकार द्वारा असहमति प्रकट करने एवं वर्तमान में उक्त वांछित सूचना/डाटा इस कार्यालय द्वारा Online Access योग्य नहीं होने से आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.01.2026 (प्राप्त दिनांक 19.01.2026) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी [illegible] सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का** [illegible] **अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस** [illegible] **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है,** जो निश्चित अभिलेखो में

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 21/2026
(GCMS No. 2026/61)
(RTI No. 212999446552965)
उम्मेद सिंह बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested